रिवीजनक्रमांक:-

प्रस्तुति दिनांक:-

173

रामचरण उम्र 80 वर्ष (फौत) बल्द देवीप्रसाद पटैल

विधिक वारसानः- 1/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3383

माधव प्रसाद पटैल (पुत्र) उम्र.52. वर्ष बल्द स्व. रामचरण पटैल

CF - 29.9.17

साकिन जटाशंकर एवं कंकाली माता मंदिर के बीच दमोह तह. व जिला दमोह (म.प्र.)

---- रिवीजनकर्ता

बनाम

18.9.17

मध्यप्रदेश शासन

18.9.17

--- उत्तरवादीपक्ष

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा:- 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह 2 तहसील व जिला दमोह द्वारा रा.प्र.क्र. 18अ/12वर्ष 2016-17 में किये गये अविधिक सीमांकन अभिप्रमाणित आदेश दिनांक 30.06.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उद्भूत ...

18/9/17

महोदय,

रिवीजनकर्ता प्रार्थना करता है :-

18/9/017

अ. आवेदक/रिवीजनकर्ता का संक्षिप्त में राजस्व निरीक्षक महोदय के समक्ष प्रकरण इस प्रकार से था कि मौजा दमोह खास प.ह.नं. 16 की कृषि भूमि आवेदक एवं उसके भाई इत्ते ने उसके पूर्व मालिक काबिज भगवानदास ,हरप्रसाद, हजारी ,जानकी, सभी आत्मज नन्हेलाल राय साकिन दमोह के खसरा नं. 1386/3 के कुल रकबा 8 एकड़ में से रकबा 2.85 याने कि 1.152 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3383 माधव विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल दमोह के प्रकरण क्रमांक 18/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 08/01/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	